

(विपिन कुमार) विशेष पत्रवाहक द्वारा  
मोबाईल नं० 8126719676

प्रेषक,

अधिशायी अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
प्रखण्ड बागपत।

सेवा में,

सूचना निदेशक,  
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,  
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक 1238 / ग्रा०अ०वि० / नीलामी - सूचना / 2018-19  
महोदय,

दिनांक 19/09/2018

संलग्न नीलामी सूचना संख्या 1235/ग्रा०अ०वि०/लेखा-रा०वा०नीलामी/2018-19/  
दिनांक 19.09.2018 की एक प्रति सी०डी० सहित इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि कृपया इनका  
प्रकाशन बागपत/मेरठ के क्षेत्र में प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराते हुए प्रति  
उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा इसे उ०प्र० शासन की वेबसाईट पर भी लोड कराने का कष्ट करें।  
संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(नीरज कुमार)

अधिशायी अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
प्रखण्ड बागपत।  
मो० 9412244005

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, (आई०टी० सैल) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ०प्र० लखनऊ को उपरोक्त नीलामी सूचना की प्रति एवं सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संलग्न नीलामी सूचना को अपनी वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
अधिशायी अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
प्रखण्ड बागपत।

कार्यालय-अधिकासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बागपत।  
पत्र संख्या 1235/ग्रा0अ0वि0/लेखा-रा0वा0नीलामी/2018-19 दिनांक 19/09/2018

**नीलामी सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय अधिकासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बागपत द्वारा दिनांक 04.10.2018 के पूर्वान्ह 11:00 बजे राजकीय वाहन जीप संख्या यू0जी0ओ0 4360, जो क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान बडौत में अचल स्थिति में खड़ी है की नीलामी की जायेगी, जो व्यक्ति/फर्म सामान लेने के इच्छुक हो निर्धारित दिवस व स्थान पर उपस्थित होकर बोली बोल सकते हैं।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	मात्रा	जमानत धनराशि
1	जीप संख्या यू0जी0ओ0 4360	01	1500.00

**शर्तः-**

1. नीलामी की बोली विकास भवन सभागार में बोली जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को उपरोक्तानुसार सामग्री के सम्मुख धनराशि बोलने से पूर्व जमानत के रूप में सन्दर्भित जमानत राशि नकद रूप में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करनी होगी।
3. जिलाधिकारी, महोदय, बागपत द्वारा गठित समिति को बिना कारण बताये, नीलामी स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
4. सबसे ऊची बोली बोलने वाले को बोली की कुल धनराशि में से 5000.00 रुपये मौके पर ही जमा करनी होगी।
5. उच्चतम बोली पर जी0एस0टी0 कर (18 प्रतिशत) अलग से लिया जायेगा।
6. उपरोक्त नीलामी वाली जीप की दशा को क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान बडौत परिसर से किसी दिवस प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।
7. नीलामी की जीप सक्षम अधिकारी से नीलामी की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त: नीलामी बोलने वाले को पूर्ण धनराशि तीन दिवस के अन्तर्गत अधिकासी अभियन्त्रण, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग बागपत के कार्यालय में जमा कराने के सात दिवस के अन्दर उठाना होगा। विपरीत परिस्थितियों में जमा धनराशि जप्त कर ली जायेगी।
8. जीप जैसी है जिस स्थिति में है उसी आधार पर उठानी होगी। बोलीदाता उक्त जीप का निरीक्षण बोली से पूर्व भलिमोति कर ले, बाद में कोई अनुरोध व दावा स्वीकार न होगा।

(नीरज कुमार)

अधिकासी अभियन्ता

**पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. जिला सूचना अधिकारी, बागपत को इस आशय से पृष्ठांकित है कि कृपया वर्णित विज्ञप्ति को जनपद बागपत के प्रख्यापित एक दैनिक समाचार में एक बार निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. सहायक अभियन्ता (स्टोर), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बागपत।
3. जिलाधिकारी, बागपत।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत को उनके आदेश दिनांक 19.09.2018 के क्रम में।
5. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल मेरठ।
6. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
7. मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. जिला सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागपत।
10. नोटिस बोर्ड पर चरप्पा हेतु।

अधिकासी अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
प्रखण्ड बागपत।